बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब[3] –14/2016– /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,
नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी (नालन्दा)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना (योजना) बजट के ''मुख्यशीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0101–स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम'' विपत्र कोड–पी 2203001120101 के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–522, दिनांक 01.03.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में योजना मद के अधीन सृजित पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर संस्थान द्वारा चयनित अतिथि शिक्षकों/तकनीकी कर्मियों को निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान तथा विद्युत व्यय हेतु क्रमशः रू॰ 18,00,000=00 मात्र तथा रू॰ 8,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 26,00,000=00 (छब्बीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्गत आवंटनादेश संख्या–9(आ), दिनांक 16.5.2016 एवं संख्या–63(आ), दिनांक 11.07.2016 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन अन्य विषयशीर्षो में उपबंधित राशि से 31 मार्च 2017 तक नियमानुसार व्यय हेतु नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी को कुल रू॰ 26,00,000=00 (छब्बीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है :–

क्रमांक	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रू॰ में)
1.	13 04 विद्युत प्रभार	8,00,000
2.	28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	18,00,000
	कुल	**26,00,000**
		(क)

(क) छब्बीस लाख रूपये मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–4572, दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रुप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या, माँग संख्या तथा विपत्र कोड सहित विषयशीर्ष एवं

आयोजना (योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सकें।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक–280/वि(2), दिनांक 29.03.2003 मे अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी० भी० नं० एवं तिथि सहित व्यय–विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/ –
(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– 147(mv)/पटना, दिनांक– 6-3-017

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.17
निदेशक

6/3/17